रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1137] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2005/कार्तिक 3, 1927
No. 1137] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2005/KARTIKA 3, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 अक्तूबर, 2005

का.आ. 1532(अ).—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति ने बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी.एच.सी.) तकनीकी ग्रेड के [विनिर्माण, वितरण, परिवहन और] प्रयोग पर पाबन्दी को दृष्टि में रखते हुए लिंडेन के विनिर्माण का पुनर्विलोकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह संतुष्ट हो जाने पर कि लिंडेन का प्रयोग मनुष्यों और पशुओं के लिए जोखिम संभाव्य है, इस विषय में तुरंत कार्रवाई का किया जाना समीचीन या आवश्यक है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) (जिसको इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा), की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :—

"प्रारूप आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लिंडेन (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भवनों में दीमक नियंत्रण, कृषि में गन्ने में दीमक नियंत्रण, और निर्यात के सिवाय लिंडेन (गामा बी.एच.सी.) का आयात, विनिर्माण और उसके सभी प्रयोग, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रतिषिद्ध हो जाएंगे।

3. (1) लिंडेन के लिए अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा, सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से जिसके अंतर्गत नए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भी हैं, लेबलों और पत्रकों पर "केवल भवनों में दीमक नियंत्रण, कृषि में गन्ने में दीमक नियंत्रण, और निर्यात के लिए" स्पष्ट अक्षरों में चेतावनी की अपेक्षा को सम्मिलित करने के लिए, वापस लिया जाएगा।

(2) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर, इस आदेश के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र वापिस नहीं करते हैं तो उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन अनुदत्त उनकी अनुज्ञप्तियाँ नवीकृत नहीं की जाएंगी या उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन उस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाएगी।

4. राज्य सरकारें, अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में, ऐसे सभी उपाय करने के लिए जिन्हें वे, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन विरचित नियमों के अनुसार, इस आदेश को लागू करने के लिए ठीक समझे, सशक्त की जाएगी"।

5. प्रारूप आदेश को, जो केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से, जिसको इस आदेश की भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

6. उक्त प्रारूप आदेश के सम्बन्ध में, कोई व्यक्ति, किसी सुझाव या आक्षेप करने की वांछा करता है तो उनको इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा।

[फा. सं. 19-6/2001-पी.पी.-I (खंड VI)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2005

S.O. 1532(E).—Whereas the Registration Committee constituted under Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) had constituted an Expert Group to review the manufacture of Lindane in view of the ban on the manufacture, distribution, transportation and use of technical grade Benzene Hexachloride (BHC) ;

And whereas the Central Government, after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee constituted under Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) is satisfied that the use of Lindane is likely to involve risk to human beings and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby proposes to make the following Order, namely :—

"DRAFT ORDER

1. (1) This Order may be called the Lindane (Cancellation of Certificate of Registration) Order, 2005.

   (2) It shall come into force on the date of final publication of this order in the Official Gazette (to be notified).

2. The import, manufacture and all uses of Lindane (gamma B.H. C.) except for termite control in buildings, termite control in sugarcane in agriculture and for exports shall be prohibited from the date of final publication of this order in the Official Gazette.

3. (1) The certificates of registration granted for Lindane shall be withdrawn by the Registration Committee from all registrants including new registrants for incorporation of the requirement of the warning in bold letters "ONLY FOR USE IN TERMITE CONTROL IN BUILDINGS, TERMITE CONTROL IN SUGARCANE IN AGRICULTURE AND FOR EXPORTS" on labels and leaflets.

   (2) In respect of those registrants who do not return the registration certificate, as per this order within a period of six months with effect from the date of publication of the final notificaion, their licenses granted under Section 13 of the said Act shall not be renewed or action under Section 14 of the said Act shall be taken in that respect.

4. The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order as per the Insecticides Act, 1968 and the rules framed thereunder."

5. The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all perons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public.

6. Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may, forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), Krishi Bhavan, New Delhi.

[F. No. 19-6/2001-PP-I (Vol. VI)]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.